— प्रेस नोट —

जनपद मीरजापुर

दिनांक- 09.04.2021

पेशेवर अपराधियों की गिरोहबन्द अधिनियम के अंतर्गत अपराध से अर्जित 97 लाख की सम्पति की गयी जब्त–

अपराध नियन्त्रण एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाये जा रहे अभियान व शातिर अपराधियों पर कार्यवाही के क्रम आज दिनांक 09.04.2021 को पेशेवर 02 अपराधियों अखिलेश दूबे उर्फ अखिलेश चन्द्र द्विवेदी पुत्र स्व0 रामरेखा दूबे उर्फ राम रेखा द्विवेदी निवासी विसुन्दरपुर थाना को0 शहर मीरजापुर व बाबू खा उर्फ मो0 आजम पुत्र स्व0 फिरोज अहमद उर्फ रोज मोंहम्मद निवासी तरकापुर थाना को0 शहर मीरजापुर की 85 लाख (अनुमानित किमत) की सम्पति थाना को0 देहात पुलिस द्वारा जब्त की गयी। अखिलेश दूबे उर्फ अखिलेश चन्द्र द्विवेदी व बाबू खां उर्फ मो0 आजम शातिर अभ्यस्त गिरोह बन्द अपराधी है, उक्त गिरोह के विरुद्ध थाना को0 देहात पर मु0अ0स0-64/2021 धारा 3(1) उ0प्र0 गैगेस्टर एक्ट पंजीकृत है। अखिलेश दूबे उर्फ अखिलेश चन्द्र द्विवेदी व बाबू खां उर्फ मो0 आजम अपने व गैंग के सदस्यों के आर्थिक व भौतिक लाभ के लिए अपराधिक व समाज विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त है। इस प्रकार विधिसम्मत प्रकिया से भिन्न प्रकिया अपनाकर उसके परिणाम स्वरुप अवैध सम्पति अर्जित की गयी है, उनके पास अन्य कोई ज्ञात व वैध आय के श्रोत नही है, थाना प्रभारी को0 देहात के रिपोर्ट पर पुलिस अधीक्षक मीरजापुर के अनुमोदन के उपरान्त जिलाधिकारी मीरजापुर द्वारा उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए शातिर गिरोह बन्द दोनो अपराधी अखिलेश दूबे उर्फ अखिलेश चन्द्र द्विवेदी निवासी बिसुन्दरपुर थाना को0 शहर मीरजापुर व बाबू खा उर्फ मो0 आजम पुत्र स्व0 फिरोज अहमद उर्फ रोज मोंहम्मद निवासी तरकापुर थाना को0 शहर मीरजापुर की संयुक्त अचल सम्पति ग्राम विसुन्दरपुर तहसील सदर जनपद मीरजापुर में स्थित क्रय शुदा जमीन जिसकी कीमत करीब 85 लाख रुपये है, को जब्त करने का आदेश दिया गया था। जिसके अनुपालन में उपजिलाधिकारी सदर के नेतृत्व में थाना प्रभारी निरीक्षक को0 देहात, प्रभारी निरीक्षक पड़री व राजस्व की संयुक्त टीम द्वारा उक्त अचल सम्पति जब्त की गयी।

इसके अतिरिक्त में जिलाधिकारी मीरजापुर द्वारा उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए शातिर गिरोह बन्द अपराधी बाबू खा उर्फ मो0 आजम पुत्र स्व0 फिरोज अहमद उर्फ रोज मोंहम्मद निवासी तरकापुर थाना को0 शहर मीरजापुर की चल सम्पति वर्ना हुडई कार नंबर यूपी 63 एपी 5262 को जिसकी किमत करीब 12 लाख रुपये है को जब्त करने का आदेश दिया गया था, जिसके अनुपालन में थाना प्रभारी निरीक्षक को0 देहात, प्रभारी निरीक्षक पड़री की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा उक्त चल सम्पति को भी जब्त किया गया।

विवरण सम्पति-

1- अचल सम्पति ग्राम विसुन्दरपुर तहसील सदर जनपद मीरजापुर में स्थित क्रय शुदा जमीन जिसकी कीमत करीब 85 लाख रुपये (अखिलेश दूबे उर्फ अखिलेश चन्द्र द्विवेदी व बाबू खा उर्फ मो0 आजम की संयुक्त सम्पति)

2- वर्ना हुडई कार नंबर यूपी 63 एपी 5262 किमत करीब 12 लाख रुपये (बाबू खा उर्फ मो0 आजम की सम्पति)

आपराधिक इतिहास----

बाबू खा उर्फ मो0 आजम-

1- मु0अ0स0-504/2006 धारा 302,201 भा0द0वि0 थाना को0 शहर मीरजापुर।

2-मु0अ0सं0-323/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 देहात मीरजापुर।

3-मु0अ0स0-312/2020 धारा 302,201 भा0द0वि0 थाना को0 देहात मीरजापुर।

4-मु0अ0स0-64/2021 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द अधि0 गैंगेस्टर थाना को0 देहात मीरजापुर।

अखिलेश दूबे उर्फ अखिलेश चन्द्र द्विवेदी-

1-मु0अ0स0-312/2020 धारा 302,201 भा0द0वि0 थाना को0 देहात मीरजापुर।

2-मु0अ0स0-64/2021 धारा 3(1) उ0प्र0 गिरोहबन्द अधि0 गैंगेस्टर थाना को0 देहात मीरजापुर।